पत्रांक–7 / कुष्ठ–4–01 / 2012– 647(7)व

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें–सह–**नियंत्री पदाधिकारी,**
कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना ।
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी।
(सूची संलग्न)

पटना, दिनांक : 29 -11-12

विषय : **मांग** संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा **लोक** स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ– एलोपैथी–200– अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–**कुष्ठ** निरोध **कार्यक्रम** विपत्र कोड– N2210012000002 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते तथा अन्य **मदों** में कुल– ₹1,41,78,630 / – (एक करोड एकतालिस लाख अटठहत्तर हजार छः सौ तीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष / उपशीर्ष / विपत्र कोड अन्तर्गत आवंटनादेश सं0–15(7)ब दिनांक–24.4.12 एवं 56(7)ब दिनांक–18.10.12 तथा मांग पत्रों के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–2013 में वेतन भत्ते तथा अन्य मदों में कुल– ₹1,41,78,630 / – (एक करोड़ एकतालिस लाख अटठहत्तर हजार छः सौ तीस रूपये) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98 एवं परिपत्र 2419 वि0(2) दिनांक 05.04.2007, 2398वि0(2) दिनांक–8.4.08 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–3388वि0(2) दिनांक 18.4.11 तथा 4201वि0(2) दिनांक–12.04.2012 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या 20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष 2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–200–अन्य स्वास्थ्य योजनाएँ–0002–कुष्ठ निरोध कार्यक्रम विपत्र कोड–N2210012000002 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–2013 के आय–व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से की जायेगी ।

4. दवा भंडार / चिकित्सा सामग्री भंडार (रसायन) / सामग्री एवं पूर्तियों एवं मशीने एवं उपस्कर इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सिविल सर्जन होंगे, शेष इकाईयो के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाये–सह नियंत्री पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना / संबंधित जिला के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी तथा नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होगें।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारियों / कर्मचारियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र वेतन विपत्र पर भी अंकित करेंगे ।

6. क्रय संबंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक– 96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक–15.3.2001, 241(9) दिनांक– 21.5.2002, 379(9) दिनांक– 16.8.2002 एवं 73(9) दिनांक– 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जाएगा ।

7. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने तथा उनका सदुपयोग सुनिश्चत करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

8. कई पदाधिकारियों / कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों मे यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीघ्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों / कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी / कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।

28/11/12

3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय उप निदेशक / निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

9 यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग / स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण / मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश / परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

11. मकान किराया का भुगतान सिर्फ उन्हीं संस्थानों को किया जायेगा जिनका किराया की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गयी हो । जिनकी स्वीकृति विभाग द्वारा प्राप्त नहीं हो उनका भुगतान बिना स्वास्थ्य विभाग की स्वीकृति के नहीं किया जायेगा ।

12. विद्युत विपत्र की राशि का भुगतान के क्रम में विपत्र पर यह भी प्रमाण पत्र अंकित किया जायगा कि इस विपत्र में किसी आवासीय परिसर के उपभोग में लाई गयी विद्युत की राशि सम्मिलित नहीं है।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

14. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

29/11/2012

(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :64(7)a पटना, दिनांक : 29-11-12

प्रतिलिपि : महालेखाकार बिहार, पटना / वित्त विभाग बजट शाखा / सम्बंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सम्बंधित जिला पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सम्बंधित उपकोषागार पदाधिकारी / सम्बन्धित क्षेत्रीय उप निदेशक / सम्बंधित सिविल सर्जन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ / प्रशाखा पदाधिकारी–7 एवं कार्यवाह सहायक / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

29/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

उपबंध की स्थिति

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (01–01)	314404000	257800000	8310000	266110000	48294000
2	जीवन यापन भत्ता (01–03)	172922000	131478000	4238100	135716100	37205900
3	मकान किराया भत्ता (01–04)	47160000	38670000	1246500	39916500	7243500
4	परिवहन भत्ता (01–05)	56000	10000	0	10000	46000
5	चिकित्सा भत्ता (01–06)	2800000	2320200	74790	2394990	405010
6	अन्य भत्ता (01–07)	314000	180460	5790	186250	127750
	योग वेतन एवं भत्ते:–	**537656000**	**430458660**	**13875180**	**444333840**	**93322160**
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	1000000	0	0	0	1000000
8	यात्रा व्यय (11–01)	900000	450000	0	450000	450000
9	कार्यालय व्यय (13–01)	900000	450000	20000	470000	430000
10	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (13–02)	400000	201500	5000	206500	193500
11	दूरभाष (13–03)	516000	248000	0	248000	268000
12	विद्युत प्रभार (13–04)	380000	186000	45450	231450	148550
13	विधि प्रभार (13–05)	1000000	165000	0	165000	835000
14	वर्दी / पोषाक (13–06)	70000	31000	7000	38000	32000
15	किराया महसूल एवं कर (14–01)	800000	0	126000	126000	674000
16	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	1000000	496000	0	496000	504000
17	दवा भंडार (21–02)	500000	120000	0	120000	380000
18	आहार / पथ्य (21–03)	2000000	100000	100000	200000	1800000
19	अनुरक्षण एवं मरम्मत (27–02)	1000	0	0	0	1000
	कुल योग:–	**547123000**	**432906160**	**14178630**	**447084790**	**100038210**

64(7)05
29-11-12

28/11/2012

सरकार के संयुक्त सचिव

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2012–2013 में बिहार स्थित कुष्ठ नियंत्रण उपशीर्ष का अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	परिवहन भत्ता (01–05)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	विद्युत प्रभार (13–04)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	किराया महसूल एवं कर (14–01)	आहार/ पथ्य (21–03)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16
1	अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, सह नियत्री पदाधिकारी, कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम, बिहार, पटना	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	5000	332/23.8.12
2	अपर मु०चि०पदा०, गया	1100000	561000	165000	0	9900	770	1836670	20000	0	0	5000	0	100000	1961670	188/11.8.12/ 224/15 9.12, 72/16.7.12
3	अपर मु०चि०पदा०, भागलपुर	4600000	2346000	690000	0	41400	3220	7680620	0	0	45450	0	126000	0	7852070	347/15.10.12
4	अपर मु०चि०पदा०, औरंगाबाद	610000	311100	91500	0	5490	400	1018490	0	0	0	2000	0	0	1020490	284/15.10.12
5	अपर मु०चि०पदा०, जहानाबाद	2000000	1020000	300000	0	18000	1400	3339400	0	0	0	0	0	0	3339400	264/16.10.12
	कुल	8310000	4238100	1246500	0	74790	5790	13875180	20000	5000	45450	7000	126000	100000	14178630	

(एक करोड़ एकहत्तर लाख अठहत्तर हजार छः सौ तीस) रू० मात्र

6417/08
29-11-12

सरकार के संयुक्त सचिव